

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

~~उपखण्ड अधिकारी~~ के नाम ~~श्री श्री~~ ~~उपखण्ड अधिकारी~~

धारा 111-128 L.R Act किस्म ~~पत्रावली~~

प्रसं० 390/2017

बाद जाँच कर्द/प्रार्थनापत्र/अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत प्रकियानुसार विपक्षीगणों/अप्रार्थीगणों को जरिये लवाना तलबी हो पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 22.1.2018 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाडा

~~22-18 पत्रावली के तहत, दखील प्राचीन उपखण्ड में विपक्षीगणों के कर्तव्य का उदाहरण प्रस्तुत है। किन्तु प्राकृतिक पत्रावली के अभाव में विपक्षीगणों उपखण्ड नहीं, विपक्षीगणों को दितनी ही मर्तबा विधिवत दायर दिखते जाते के उपरांत भी उपखण्ड गभीरों के कारण एक लम्बा कार्यवाही प्रारंभ जाते से कावेरा दिया जाता है। दखील प्राचीन ने कर्तव्य करनी नहीं। दखील प्राचीन भी कर्तव्य करनी जाये। दखील प्राचीन का प्रार्थना पत्र आता 111-128 L.R Act के तहत प्रेषित किया गया। किन्तु दिनीय कर्तव्य के अभाव में अर्जतगणों पत्रावली प्रेषित किया गया। दिनीय भी प्रार्थना प्रेषित जाते कावेरा निर्णय भी प्रेषित लक्ष्मीलक्ष्मी भीलवाडा को प्रेषित है। दिनीय जाते पत्रावली के कर्तव्य प्रेषित भी जाते कर्तव्य प्रेषित है।~~

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा (राज.)